



प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गो अनुसंधान संस्था, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक- 08 अक्टूबर, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 15 के अधीन विश्वविद्यालय के माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-425-27/लेखा/बजट/2026-27, दिनांक-25.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-पं. दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा-0304-विश्वविद्यालय के माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि ₹0-500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कुलपति, 30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कुलपति, 30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
- प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व कुलपति, 30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।
- कुलपति, 30प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है अर्थात् प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, उ०प्र० दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।
 13. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
 14. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
 15. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403008000304** विश्वविद्यालय के माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-154-X-2026-27-दिनांक:8-10-2026, दिनांक-08अक्टूबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

प्र०सं०-212/2026/2413(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(11)/2025-2004658. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
6. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।